संख्या-237/2026/112के-2/22-3-2026-17(130)/26

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी शिववीर पुत्र श्री रामप्रकाश, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025 (बैठक दिनांक 19.01.2026), दिनांक 16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी शिववीर (बंदी संख्या-1938/2024) पुत्र श्री रामप्रकाश, जो ग्राम-विधिपुरा, थाना-लवेदी, जनपद-इटावा का रहने वाला है। दिनांक 20-09-2021 को बंदी द्वारा अपने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी को दहेज में मोटर साईकिल व जंजीर की मांग को लेकर मारकर फांसी के फंदे से लटका दिया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-85/2022 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट सं0-1, इटावा के आदेश दिनांक 13-12-2024 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए तथा डी0पी0 एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 08-10-2025 के अनुसार बन्दी की आयु 33 वर्ष है तथा बंदी द्वारा 04 वर्ष, 16 दिन की अपरिहार व 04 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा पुन: अपराध कारित करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त हो सकने, कारागार में निरूद्ध रखना आवश्यक होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिववीर पुत्र श्री रामप्रकाश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी शिववीर (बंदी संख्या-1938/2024) पुत्र श्री रामप्रकाश, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या-112(1)के-2/22-3-2026 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-237/2026/112के-2/22-3-2026-17(130)/26

दिनांक 16 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी शिववीर (बंदी संख्या-1938/2024) पुत्र श्री रामप्रकाश, जो ग्राम-विधिपुरा, थाना-लवेदी, जनपद-इटावा का रहने वाला है। दिनांक 20-09-2021 को बंदी द्वारा अपने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी को दहेज में मोटर साईकिल व जंजीर की मांग को लेकर मारकर फांसी के फंदे से लटका दिया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-85/2022 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट सं0-1, इटावा के आदेश दिनांक 13-12-2024 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए तथा डी0पी0 एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 08-10-2025 के अनुसार बन्दी की आयु 33 वर्ष है तथा बंदी द्वारा 04 वर्ष, 16 दिन की अपरिहार व 04 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा पुन: अपराध कारित करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त हो सकने, कारागार में निरूद्ध रखना आवश्यक होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिववीर पुत्र श्री रामप्रकाश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।